**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या: **149 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
सुशील कुमार सिंह चौहान C/o कार्यालय अंदर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड़, बांसवाड़ा।

..............**अपीलार्थी**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव, उदयपुर

...................**प्रत्यर्थी**

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

## निर्णय

दिनांकः 15/10/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 18.06.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 149 / 25 / 933–34 दिनांक 09.09.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक: सूअ / 2005 / 25 / 1152 दिनांक 26.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना श्रीमान ज़िला कलक्टर महोदय, उदयपुर के पत्रांक 1319–20 दिनांक 28.05.2025 के आदेशानुसार मूल पत्रावलियां मय दर्ज रजिस्टर श्रीमान के कार्यालय में भिजवाई गई थी। अपीलाण्ट को कार्यालय हाजा के पत्रांक 877 दिनांक 09.07.2025 से यह सूचना दी जा चुकी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा जरिये पत्रांक 877 दिनांक 09.07.2025 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत करवाया गया है कि वांछित सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होकर जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर में प्रेषित की गई है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बड़गांव द्वारा न्यायालय में प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुये है। ऐसी स्थिति में यह माना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर/जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-10-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
**प्रथम अपील अधिकारी,**
**सूचना का अधिकार अधि. एवं**
**जिला कलक्टर, उदयपुर**